

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्यामु देवी पत्नि भैरूलाल नायक निवासी रूद तहसील राशमी  
बनाम

ग्राम पंचायत रूद, तहसील राशमी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रूद वगैरा

प्रकरण संख्या 007/2019 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स उपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित भी नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ तहसीलदार को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	